फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती भमरी उर्फ डाली विपक्षी :– राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि. पत्रावली संख्या : 119/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.07.2025 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थीया एवं राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थीया एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम भमरीबाई पुत्री केशा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डालीबाई पुत्री केशा एवं भमरीबाई पुत्री केशा एक ही महिला है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत आमली द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 10 दिनांक 30.06.2025, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं प्रार्थीया का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार मोहन पिता रोडा भील का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। खातेदार द्वारा भी शपथ पत्र में निवेदन किया कि खातेदार भमरीबाई एवं डालीबाई दोनो एक ही महिला है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम डालीबाई पुत्री केशा अंकित होना जाहिर होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि डालीबाई एवं भमरीबाई एक ही महिला है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 250 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार भमरीबाई पुत्री केशा के बजाय भमरीबाई उर्फ डालीबाई पुत्री केशा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:49 IST
Reason: SelfAttested